राजस्व लोक अदालत–2017 केम्प कोर्ट राक्षी तहसील बनेड़ा

पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर R.A.S.

प्रकरण संख्या : 1/2016 राजस्व अपील

उनवान

1. श्रीमति चांद कवंर पुत्री मोहनसिंह राजपूत पत्नि श्री उदसिंह राजपूत निवासी राक्षी तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा हाल निवासी राजपूतो का वास, गांव कानपुरा तहसील मसूदा, अजमेर (राज0)

—— **अपीलार्थीया**

बनाम

1 श्रीमति छगन कंवर पत्नि उदयसिंह राजपूत निवासी राक्षी तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
2 श्रीमति रणभंवर कंवर पुत्री उदयसिंह राजपूत निवासी राक्षी तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3 श्रीमति गणेश कंवर पत्नि शंम्भुसिंह राजपूत निवासी राक्षी तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
4 श्री देवीसिंह पिता शम्भुसिंह राजपूत निवासी राक्षी तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
5 श्रीमति विष्णु कवंर पत्नि गिरधारी सिंह राजपूत निवासी कुण्डियाकंला तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
6 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
7 श्री पटवारी, पटवार हल्का क्षैत्र राक्षी तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
8 ग्राम पंचायत राक्षी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये सरपंच, राक्षी
9 आई0सी0आई0सी0आई0 बेंक शाखा रायला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा जरिये प्रबन्धक आई0सी0आई0सी0आई0 बेंक शाखा रायला तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

——रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामा. संख्या 06 आदेश दिनांक 09–02–1977 ग्राम पंचायत राक्षी

उपस्थित –

1. अपीलार्थी मय अधिवक्ता स्वंय उपस्थित
2. रेस्पोडेण्ट्स संख्या 04 स्वंय उपस्थित

निर्णय

दिनांक – 15.06.2017

अपील के संक्षेप तथ्य यह है कि ग्राम राक्षी, पटवार मण्डल राक्षी स्थित आराजी संख्या 622/2, 623, 624, 625, 631, 632, 633/2, 640, 643, 644/2, 645, 649, 650/2, 654, 1114/1, 1115, 1117/1, 1121/1 कुल किया 18 कुल रकबा 22–09 बीघा स्थित है जिसमें अपीलार्थी के पिता मोहनसिंह पुत्री गोविन्द सिंह राजपूत के स्वामित्व की होकर श्री मोहनसिंह राजपूत के नाम से ही राजस्व अभिलेखो में चली आ रही थी। पारिवारिक सजरे अनुसार श्री मोहन सिंह के दो पुत्र शम्भु सिंह व उदयसिंह और एक पुत्री अपीलार्थी चांद कंवर है और शम्भु सिंह उदय सिंह एंव अपीलाथी। चांद कवंर पुत्र पुत्री होकर हिन्दु उत्तराधिकर अधिनियम की प्रथम अनुसुची अनुसार प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है। और उक्त आराजियात में अपीलार्थी 1/3 हिस्से व अंश की हक एंव अधिकारीगणी है। किन्तु अपीलार्थी के पिता मोहनसिंह की मृत्युपंरान्त ग्राम पंचायत राक्षी द्वारा उक्त आराजीयात का विरासत से नामान्तकरण संख्या 06 दिनांक 09.02.1977 खोला गया जो त्रुटि एंव लोपवश मात्र उदय सिंह व शम्भुसिंह के नाम पर ही खोला गया। नामान्तकरण खुल जाने मात्र से उदयसिंह के वारिसान छगन कंवर, रणभंवर कंवर द्वारा नाजायज लाभ कमाने की नीयत से उक्त आराजीयात में से अपना

हक हिस्सा विष्णु कंवर पत्नि गिरधारी सिंह राठौड राजपूत के नाम पर विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया जो कि प्रारम्भतः अवैध एंव शुन्य है। नामान्तकरण संख्या 06 दिनांक 09.02.1977 में अपीलार्थीया पिता मोहनसिंह की मृत्यूपंरान्त विरासत से उनके दोनो पुत्र उदयसिंह व शम्भुसिंह के नाम पर त्रूटीपूर्ण दर्ज कर नामान्तकरण फैसल करवा लिया। जो कि विधि विरूद्ध होकर नामान्तकरण अपास्त योग्य है।

उक्त नामान्तकरण की जानकारी अपीलार्थीगण को 25.02.2016 को हुई तथा उनके द्वारा नकल लेकर विहीत समयावधि में अपील पेश की है। विलम्बित अवधि के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रा.पत्र प्रस्तुत कर क्षम्य किये जाने का अनुरोध किया। प्रा.पत्र की ताईद में शपथपत्र भी पेश हुआ। जिसका कोई खण्डन अभिलेख पर नहीं है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थीया/प्रार्थीगण का प्रा.पत्र दफा 5 स्वीकार किया जाकर विलम्बित अवधि क्षम्य की जाती है।

प्रकरण को दिनांक 07.04.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट्स की तल्बी की गई। इसी दौरान प्ररकण को राजस्व लोक अदालत 2017 केम्प शिविर मुकाम राक्षी के लिए पंजीबद्ध किया कर पक्षकारान उभयपक्ष को वजह जाहिर करने के लिए सूचना पत्र जारी किये गये। प्रकरण का मेरिट्स पर परीक्षण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं मनन किया गया तथा उपस्थित पक्षकरान को सुना गया। अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने जो सजरा प्रमाणित किया है उसमें अपीलार्थी को मृतक मोहनसिंह के कोई जाईन्दा पुत्री नही होने से वारिस नहीं होना बताया गया है। इसके विपरीत मृतक मोहनसिंह के जाईन्दा पुत्री चांद कंवर होने के प्रमाण में अपील मेमों के समर्थन में रेस्पोटेण्ड्स संख्या 04, 08 द्वारा सहमति पत्र पर अपीलपत्र अपीलार्थी के पक्ष में अन्तिम निपटारे के लिए अपनी और से सहमति व्यक्त की। इसके अतिरिक्त शेष रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 लगायत 03 सूचना के बावजूद शिविर में अनुपस्थित रहे। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीया चांद कंवर मृतक मोहनसिंह के प्रथमश्रैणी वारिसान होकर अपीलाधीन नामान्तरण में अपना नाम बतौर वारिस जुड़वाने के अधिकारी है। हम अपीलार्थीपक्ष के इस तर्क से सहमत है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक मोहनसिंह के वारिसान की सम्पूर्ण जानकारी लिये बिना ही आदेश पारित कर महत्वपूर्ण विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी की ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

: : आदेश : :

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामा. संख्या 06 आदेश दिनांक 09–02–1977 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बनेड़ा को रिमाण्ड किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। तहसीलदार उक्त प्रकरण में अजसिरे उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर 6 माह की समयावधि में नवीन निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 15.06.2017 को खुले न्यायालय राजस्व लोक अदालत केम्प राक्षी में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। उक्त निर्णय की प्रति तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ प्रेषित हो।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

क्रमांक/प्रकरण संख्या/अपील एलआर/01/2016 दिनांकः 15.06.2017

प्रतिलिपिः–

तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ प्रेषित हो ।

उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा